44 मेगावाट जखोल–सांकरी जल विद्युत परियोजना के सामाजिक–समाघात सर्वेक्षण मूल्यांकन रिपोर्ट पर विशेषज्ञ समिति की आख्या

जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा हेमवन्ती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग से जखोल–सांकरी जल विधुत परियोजना से प्रभावित ग्रामों का समाघात निर्धारण मूल्यांकन सर्वेक्षण कराये जाने का आदेश दिया गया था। विश्वविधालय द्वारा सर्वेक्षण कार्य हेतु टीम गठित कर सामाजिक समाघात निर्धारण मूल्यांकन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। **(संलग्न 'क')**

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम–2013 की धारा 07 में दिये गए प्राविधानों के अनुसार परियोजना द्वारा प्रस्तुत की गई सर्वेक्षणक का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ ग्रुप द्वारा किया जाना है। अपर जिलाधिकारी के आदेश संख्या 7315/–07 (2010–11) 13.03.2019 द्वारा एक स्वतंत्र बहुशाखी विशेषज्ञ समिति का सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट पर आख्या देने हेतु गठन किया गया है। विशेषज्ञ समिति द्वारा आज दिनांक 26.04.2019 सामाजिक सामाघात रिपोर्ट का अध्ययन कर निम्नलिखित आख्या प्रस्तुत है।

1. जखोल–सांकरी जल विधुत परियोजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी के ग्राम धारा, सुनकुण्ड़ी, पांव मल्ला, पांव तल्ला, 12.320 हे0 भूमि ही प्रभावित हो रही है जिसका अधिग्रहण हेतु कार्यवाही गतिमान है। उपरोक्त के अतिरिक्त 24.317 हे0 वन भूमि ही प्रभावित हो रही है इस परियोजना से केवल 216 परिवार आशिंक रूप से प्रभावितं हो रहे है। कोई भी परिवार पूर्ण रूप से प्रभावित नही हो रहा है।

भूमि का अधिग्रहण "भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के साथ भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अधिनियम 2013 के अन्तर्गत किया जाएगा। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत परियोजना हेतु कुल रू0 1369.13 लाख रू0 का व्यय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु अपेक्षित है जिसका वहन SJVNL द्वारा किया जाएगा। **(संलग्न 'ख')**

2 यह परियोजना अधिकाशतः सुंरग से होते हुए एक निश्चित स्थान पर निर्मित होगी। जिसके तहत ग्राम जखोल व अन्य गाँवों के नीचे से सुंरग का निर्माण किया जाएगा परियोजना से खेतों व नदी में जाने वाले रास्ते, गूल, सिंचाई के अन्य साधन, चारागाह, बागवानी, शमशान आदि प्रथम दृष्टियाँ प्रभावित होने नही बताये गये है। परन्तु परियोजना निर्माण के समय ग्राम की सार्वजनिक सम्पति अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होनी पायी जाती है तो ऐसी दशा में उसके समाधान का दायित्व SJVNL का होगा।

Scanned by CamScanner

3. वर्तमान में परियोजना की लागत 477.15 करोड़ रू0 बतायी गई है। जल विधुत परियोजना किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। 44–मेगावाट जखोल–सांकरी परियोजना द्वारा प्रभावित ग्रामों के साथ–साथ सम्पूर्ण के लोगों के आर्थिक विकास तथा राज्य को नये ऊर्जा के स्त्रोत व राजस्व आय के रूप में करेगा तथा राज्य को विधुत आपूर्ति को भी भरने में सहयोगी साबित होगी।

4. विशेषज्ञ समिति द्वारा जखोल–सांकरी जल विधुत परियोजना से प्रभावित 04 ग्रामों के सामाजिक–समाधान सर्वेक्षण मूल्यांकन रिपोर्ट के अध्ययन इस विषयों पर पहुंची है कि परियोजना से विधुत उत्पादन के साथ–साथ स्थानों का विकास होगा जिससे क्षेत्रीय पलायन रूकेगा एवं दुर्गम क्षेत्रो में मूलभूत सुविधाओं का निर्माण किया जा सकेगा। **परियोजना द्वारा कार्य हेतु न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। अतः परियोजना का निर्माण लाभकारी है।** परन्तु समाघात को कम करने के उद्येश्य से रिपोर्ट में सामाजिक समाधान प्रबंधन योजना को ध्यान में रखा जाये।

1. श्री कुशलानन्द बहुगुणा, (एसोसिएशन फॉर इन्टीग्रल मैनकाइन्ड)
2. श्री सत्यजीत खण्डूरी, मा. फाउन्डेशन प्रतिभाग।
3. ग्राम धारा श्रीमती सुमाड़ी देवी ग्राम प्रधान।
4. श्रीमती ईश्वरी देवी सदस्य।
5. ग्राम सुनकुण्डी श्रीमती कौंरी देवी ग्राम प्रधान।
6. श्रीमती कलगा देवी सदस्य।
7. श्री रजनलाल सदस्य।
8. श्री जनक सिंह उप प्रधान।
9. श्री वी0 के0 गुप्ता, अपर महाप्रबंधक (Law & Rc) टीएचडीसीइंलि टिहरी।
10. श्री डी0 के0 गुप्ता, पूर्व अपर महाप्रबंधक (पुनर्वास) टीएचडीसीइंलि टिहरी।
11. श्री नीरज अग्रवाल, उप–महाप्रबंधक डिजाईन, टीएचडीसीइंलि0 ऋषिकेश।

Scanned by CamScanner